कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन / फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 658 /12–1 नई टिहरी, दिनांक– 8/09/ 2022

सेवा में

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः– जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण कार्य 4.650 कि0मी0 तक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। **(Online No–FP/UK/ROAD/49876/2020)**

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का कार्यालय पत्रांक–1529 / **FP/UK/ROAD/49876/2020)**, दिनांक–23.12.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार एव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक–1216 / 13 एम0जी0, दिनांक–02.06.2022 एवं पत्रांक–2177 / 13 एम0जी0, दिनांक–01.09.2022 से निम्न प्रकार प्रेषित किया गया हैः–

S. No.	बिन्दुवार लगाई गयी आपत्तियां	निराकरण
1	प्रस्ताव के संलग्न समस्त प्रारूप पर पृष्ठ संख्या अंकित की जाय।	समस्त प्रारूप पर पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गयी है।
2	प्रस्ताव में संलग्न भाग–1 में रोजगार पैदा होने वाला कॉलम रिक्त है। रोजगार पैदा होने की सम्भावना एवं मान दिवस अंकित किये जायें।	प्रस्ताव में संलग्न भाग–1 में रोजगार पैदा होने वाले कॉलम को भर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में संलग्न भाग–2 में स्थान एवं दिनांक अंकित की जाय।	भाग–2 में स्थान व दिनांक अंकित कर दिया गया है।
4	प्रारूप–6 / संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट में वन एवं राजस्व भूमि प्रभावित होना उल्लिखित है, जबकि भाग–01 में आरक्षित वन भूमि एवं नाप भूमि प्रभावित होगी अंकित है। स्थिति स्पष्ट करें।	प्रारूप–6 / संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट में व भाग–1 में आरक्षित वन भूमि व नाप भूमि अंकित कर दिया गया है। वास्तविक रूप से परियोजना में नाप भूमि प्रभावित हो रही है।
5	प्रस्ताव में परियोजना निर्माण हेतु दो डिजिटल मैप संलग्न है। स्थिति स्पष्ट करें।	सही डिजिटल मैप संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रारूप–06 / प्रारम्भिक संयुक्त रिर्पोट एवं प्रारूप 11 / वन भूमि की मांग का औचित्य में बांज एवं बुरांश वृक्षों की संख्या मे भिन्नता है।	प्रारू–6 / प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण में बांज एवं बुरांश के 124 वृक्ष प्रभावित होने प्रस्तावित है जिसके अनुसार प्रारूप–11 / वन भूमि की मांग का औचित्य में बांज व बुरांश के वृक्षों की संख्या को सही कर 124 कर दिया गया है।
7	परियोजना निर्माण में प्रभावित होने वाली नाप भूमि का लैण्ड शैड्यूल प्रस्ताव में संलग्न है, जिसके अनुसार भाग–1 में प्रभावित होने वाली भूमि में भिन्नता है। इसके अतिरिक्त बार चार्ट का तदनुसार परीक्षण करायें।	परियोजना निर्माण में प्रस्तावित कुल नाप भूमि 0.330है0 में से 0. 280 है0 भूमि सड़क निर्माण हेतु एवं 0.050 है नाप भूमि डम्पिंग जोन हेतु स्वीकृत है तदनुसार बार चार्ट में संशोधन कर दिया गया है।

8	परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाली वृक्षों की सूची में आरक्षित एवं सिविल सोयम भूमि उल्लिखित है, जबकि भाग–01 के अनुसार सिविल सोयम भूमि प्रभावित नहीं होगी।	परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाली वृक्षों की सूची में संशोधन कर आरक्षित वन एवं नाप भूमि अंकित कर दिया गया है।
9	वन अधिकार अधिनियम 2006 में संलग्न प्रारूप 30.1 में रिक्त स्थानों को भरा जाये।	वन अधिकार अधिनियम 2006 में संलग्न प्रारूप 30.1 में रिक्त स्थानों को भर दिया गया है।
10	उपखण्ड स्तरीय समिति में पत्रांक एवं दिनांक अपेक्षित है।	उपखण्ड स्तरीय समिति में पत्रांक एवं दिनांक अंकित कर दिया गया है।
11	ग्राम स्तरीय समिति के अभिलेख ग्रामीणों की सहमति प्रस्ताव में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।	ग्राम स्तरीय समिति के अभिलेख ग्रामीणों की सहमति सहित संलग्न कर दिये गये है।
12	परियोजना निर्माण हेतु यदि नाप भूमि प्रभावित होगी तो सम्बन्धित भूमिधरों के स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं आनपत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव में संलग्न किये जायें।	परियोजना निर्माण हेतु नाप भूमि से सम्बन्धित भूमिधारकों के स्वामित्व एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिये गये है।
13	प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न प्रपत्रों के अनुसार मार्ग की लम्बाई 4.650 कि0मी0 है जबकि मार्ग निर्माण की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति 08 कि0मी0 की है। स्थिति स्पष्ट करें।	मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 8.00 कि0मी0 है। परन्तु लाभान्वित ग्राम को मात्र 4.650 कि0मी0 लम्बाई से ही लाभ मिल रहा है, जिस कारण उक्त मार्ग के निर्माण की लम्बाई 4.650 कि0मी0 दी गयी है।

अतः आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव की 03 हार्ड प्रतियॉ (01 मूल प्रति सहित) इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करनें का कष्ट करेंगें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा टिहरी गढवाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

मूल प्रति

लोक निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड सरकार

वृत्त —8 वाँ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी

खण्ड का नाम—निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 चम्बा

——वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव——

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने के प्रपत्र/प्रमाण पत्र।

कार्य का नाम— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण कार्य।

मार्ग की लम्बाई—4.650 कि0 मी0

1.	आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल	—	3.175 हे0 (लम्बाई 4.250 कि0मीटर)
2.	नाप भूमि का क्षेत्रफल	—	0.280 हे0 (लम्बाई 0.400 कि0मीटर)
3	नाप भूमि डम्पिंग जोन हेतु	—	0.050 हे0
	कुल नाप भूमि	=	0.330 हे0

प्रारूप - 2 अतिरिक्त सलंग्न 2.55 (5)

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मेहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण कार्य।

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मेहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाण तक नव निर्माण कार्य।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	रू0 25.28 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	वनक्षेत्र में प्रस्तावित संरेखण के अतिरिक्त अन्य विकल्प न होने के कारण।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने लिए)	लागू नही।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	10550 man days
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	आरक्षित वनभूमि 3.175 हे0। नाप भूमि 0.33 हे0। कुल हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि–3.175 है.
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विववरण, यदि कोई है	परियोजना के कारण लोगों को हटाने की आवश्यकता नही है।
क) परिवारों की संख्या	–शून्य–
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	–शून्य––
ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	–शून्य––
4.क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही)	नहीं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	स्वीकार्य प्रमाण पत्र संलग्न। बचनबद्धता संलग्न।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावजेजों का व्यौरा।	पृष्ठ संख्या– 3 पर संलग्न विषयक सूची के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न।

दिनांक.................. **स्थान चम्बा।**

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 चम्बा।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 चम्बा।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 चम्बा।

अतिरिक्त संलग्न (2.44) 6

प्रारुप–3

भाग–2
(संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति– जनपद टिहरी गढ़वाल, विधानसभा क्षेत्र–धनोल्टी।
(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र– उत्तराखण्ड।
(ii) जिला– टिहरी गढ़वाल।
(iii) जिला वन प्रभाग– टिहरी वन प्रभाग।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र–3.175 हे0
2. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः आरक्षित
3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः
(i) वन का प्रकार आरक्षित
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व– 0.30
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना–संलग्न
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा
4. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण
5. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :
6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :
(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)–नही।
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)–नही।
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे–नही।
7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)–नही।
8. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :
(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। –अपरिहार्य एवं न्यूनतम।
(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

9. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं)–नही।

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही –नही।

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं) –लागू नही।

10. **क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :**

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।–संलग्न है।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।–संलग्न है।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।–संलग्न है।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां / नहीं)।–संलग्न है।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां / नहीं)।–संलग्न है।

11. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)।–हॉ

12. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें।

भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

सतपाल सिंह चौहान
अनुभाग अधिकारी

रजि अधिकारी
टिहरी रेंज,
नई टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

स्थान :– नई टिहरी
तारीख :– 18/09/2021

अतिरिक्त सं० - 23 13 16

प्रारुप–6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनॉंक 07.02..2018 को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा (एजेन्सी का नाम) के द्वारा मंजखेत एवं मोरियाणा की आवादी को जोडने हेतु मोटर मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री सतपाल सिंह चौहान, वन दरोगा , मैण्डखाल, एवं , श्री भगत दास , वन वीट अधिकारी, लालुरी बीट, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सुनील कुमार कनिष्ठ अभियन्ता, एवं राजस्व विभाग की तरफ से प्रताप सिंह भण्डारी , राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 400.00 (मी0) नाप भूमि से, 4250.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.33 हे0 नाप भूमि, 3.175 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.175 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर कुल 509 वृक्ष आ रहे हैं। जिनमें काफल, अयांर, कुकाट, चीड़ , बुंरांस एवं बॉज़ प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे। जिनमें बॉज के 55 वृक्ष एवं बुरॉस के 69 वृक्ष प्रभावित हो रहे है।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें उसमें 400.00 (मी0) नाप भूमि से, 4850.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 3.595 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.33 हे0 नाप भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 602 वृक्ष काफल, अयांर, अतीस, चीड़ बुंरांस एवं बॉज़ प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें बॉज के 102 वृक्ष एवं बुरॉस के 95 वृक्ष प्रभावित हो रहे है।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम हैं।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण मे मंजखेत नाप भूमि, आरक्षित वन नगुण गाड 15 ए एंव बी तथा नगुण गाड 16 ए एंव बी से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन 0.3 है एवं इन कक्षों में चीड़ बुंरांस एवं बॉज प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 0.30 है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का **GPS** मान 78°16′13.6′′**E**, 30°32′25.1′′**N** है तथा यह स्थल लालुरी कोटी मेहरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा मोटर मार्ग के किमी0 4.650 से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल मोरियाणा है जिसका **GPS** मान 78°16′31.8′′**E**,30°31′40.2′**N** है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के **GPS** मान 78°16′9.0′′**E**, 30°32′18.4′′**N**, 78°16′5.4′′**E**, 30°32′2.6′′**N**, 78°16′15.1′′**E**, 30°32′8.1′′**N**, 78°16′25.1′′**E**, 30°32′11.2′′**N** 78°16′31.8′′**E**, 30°32′2.7′′**N**, 78°16′49.79′′**E**, 30°32′4.3′′**N** 78°16′43.6′′**E**, 30°31′48.4′′**N**, 78°16′43.8′′**E**, 30°31′49.1′′**N**,78°16′34.2′′**E**, 30°31′52.7′′**N**, 78°16′33.6′′**E**, 30°31′52.9′′**N** हैं। चयनित समरेखन में कुल शून्य पौधों को अन्य स्थानन्तरित **(translocate)** किया जाना आवश्यक होगा । चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है ।
चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा ।
इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु नाप भूमि व वन भूमि के खेत/स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका **GPS** मान 78°16′14.03′′**E**, 30°32′25.4′′**N**, 78°16′1.9′′**E**, 30°32′7.2′′**N**व 78°17′03.06′′**E**, 30°32′2.1′′**N** 78°16′26.5′′**E**, 30°32′4.25′′**N**, 78°16′47.82′′**E**, 30°31′41.3′′**N**, 78°16′32.1′′**E**, हैं।

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

उप जिलाधिकारी
टिहरी
टिहरी गढ़वाल।

(वन विभाग)
प्रतिनिधि

(राजस्व विभाग)
प्रतिनिधि

(अन्य दावेदार)
प्रतिनिधि

(जन प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि

वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी रा०

तहसीलदार
कण्डीसौड
जिला–टिहरी गढ़वाल

अतिरिक्त स० (21) (15) (27) (32)

प्रारुप–11

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

Name of the project –:– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मेहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण कार्य।

वनभूमि की मॉग का औचित्य एवं विवरण

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा मोटर मार्ग का नव निर्माणमें इस क्षेत्र मे रहने वाले को यातायात की सुविधा उपलब्ध नही है। इस क्षेत्र मे प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नही है। *उपरोक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण शासनादेश संख्या* 1873 / III (2) / 16–74 (प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 07 जून 2016द्वारा 4.650 कि.मी. लम्बाई हेतु रु 25.28 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

यह मार्ग लालुरी कोटी मेहरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाण तक मोटर मार्ग कि0 मी0 4.650 तक होता है। तथा मार्ग की कुल लम्बाई 8.00 किमी0 है। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.650मीटर लम्बाई मे आरक्षित वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.175हे0, तथा 400.00 मीटर लम्बाई मे नाप भूमि जिसका क्षेत्रफल हे0 0.330 है, की आवश्यकता है।

इस मार्ग के नव निर्माण से क्षेत्र के समुचित विकास के साथ–साथ स्थानीय जनता लाभान्वित होगी तथा ग्राम क्षेत्रवासियों के लिये यातायात की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मार्ग निर्माण हेतु उक्त प्रस्तावित वन भूमि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित की जानी आवश्यक एवं न्यूनतम है।

इस मार्ग का संयुक्त निरीक्षण 7.00 मीटर चौड़ाई में पेड़ों की गिनती के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसमे कुल 509 वृक्ष आ रहे हैं, जिसमें बॉज एंव बुरांश प्रजाति के 124 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।) प्रस्ताव में वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु मार्ग की चौड़ाई 7.00 मीटर ली गयी है।

मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूचि निम्न प्रकार है–

क0सं0	ग्राम	कोड	आवादी
1	मंजखेत	0043731	155

मार्ग पर पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल – 3.175हे0 (लम्बाई 4.250 मीटर)
2. नाप भूमि का क्षेत्रफल – 0.330हे0 (लम्बाई 0.400 मीटर)

अपर सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

लैन्ड शेड्यूल
(सिविल सोयम/नाप भूमि)

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मेहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण कार्य।

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं0	कुल रकवा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे0)
नाप भूमि	टिहरी गढ़वाल	कन्डीसौड	थौलधार			400.00	7.00	0.280
नाप डंपिंग जोन हेतु	टिहरी गढ़वाल	कन्डीसौड	थौलधार	—	—	50	10	0.050
योग नाप भूमि								**0.330**

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

राजस्व उपनिरीक्षक
चम्बा।

तहसीलदार
कन्डीसौड

उपजिलाधिकारी
कन्डीसौड

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

अतिरिक्त सं0 (2.8) ~~(47)~~ (48)

प्रारुप—17

परियोजना का नामः— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मौरियाणा तक नव निर्माण कार्य।

बारचार्ट

Compart-ment No	16B	15b	16b		16a	15a	
किमी0	01	02	03			04	05
भूमि	आरक्षित वनभूमि	आरक्षित वनभूमि	आरक्षित वनभूमि	नाप भूमि	आरक्षित वनभूमि	आरक्षित वनभूमि	आरक्षित वनभूमि
लम्बाई mtr.	1000.00	1000.00	150.00	400.00	450.00	1000.00	650.00
रंग सूचक							

भूमि का प्रकार	सूचक	रंग	क्षेत्रफल हे0	लम्बाई (किमी)
आरक्षित वन भूमि	R.F	हरा	2.975	4.250
नाप भूमि	N.L	सफेद	0.280	0.400

अपर सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

मतपाल सिंह चौहान
अनुभाग अधिकारी

रजि अधिकारी
नई टिहरी रजि.
नई टिहरी

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी।

सेवा में,

श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी रेंज नई टिहरी।

विषय :– स्वीकृत मोटर मार्गों के संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र संख्या आर.एन. 854/12–1 दिनांक 27.01.2018

महोदय,

निवेदन है कि आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में दिनांक 07/02/2018 को जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–धनोल्टी के अन्तर्गत विकासखण्ड थौलधार में लालूरी कोटी मैहरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य प्रस्तावित मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया इसमें निम्न वृक्ष प्रभावित होंगे, जिसकी सूची संलग्न है।

क्र.सं.	कक्ष का नाम	प्रजाति	व्यास (सेमी0 में)										
			0-10	Oct-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-Over	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मंजखेत नाप भूमि	चीड़					1	2	1	1			5
	योग :–						1	2	1	1			5
2	नगुण गाड 15 ए	चीड़	1	30	28	16	6						81
		काफल	1	7	10	6							24
		बुरांश		1	7	2	3	1					14
		अंयार		10	15	3							28
		कुकाट	2	9	9	1							21
	योग :–		4	57	69	28	9	1					168
3	नगुण गाड 15 डी	चीड़		3	2	5	1	2					13
		बांज	2	12	14	5	1	3		1		1	39
		बुरांश		6	12	12	5	1					36
		अंयार		13	13	9	3						38
		कुकाट		12	5	3							20
	योग :–		2	46	46	34	10	6		1		1	146
4	नगुण गाड 16 ए	चीड़	3	12	22	35	36	4	2				114
		बांज			1		1						2
	योग :–		3	12	23	35	37	4	2				116

[illegible]	कक्ष का नाम	प्रजाति	(सेमी में)										[illegible]
			0-10	Oct-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-Over	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	नगुण गाड 16 ए	चीड	3	14	5	6	2		2				32
		बांज		1	4	1	4	2	1			1	14
		बुरांश		3	9	4	2	1					19
		अंयार			2	3							5
		कुकाट			3	1							4
	योग :-		3	18	23	15	8	3	3			1	74

(प्रताप सिंह भण्डारी)
उप राजस्व निरीक्षक

07-02-18
(सुनील कुमार)
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. चम्बा

(भगत दास)
वन कोट अधिकारी
लालूरी बीट

(सतपाल सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
मैण्डखाल अनुभाग

45

16

प्रारुप–30.1

अनिवार्य संलग्न 1.6

73

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Tehri** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. **Mangesh Ghildiyal** I.A.S deputy commissioner **Tehri Garhwal** on dated ......15-9-2020...... at time ..15-9-2020..at **Tehri** in which application claiming rights in **Tehri** area measuring **3.175** hect for the **Construction of Laluri Koti Mehro Ki Manjket Motor Road Manjket to Moriyana Motar Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Chamba (T.G)** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...नई टिहरी...

Dated:..15-9-2020...

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रारुप–30.2 अनिवार्य संलग्न 1:6 75

Name of the project –:– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अ लालुरी कोटी मेहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण कार्य।

पत्रांक– कैम्प टिहरी

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कन्डीसौड।

दिनांक– 22.06.20

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, थौलधार।

उपखण्ड **कण्डीसौड परिक्षेत्र के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाण तक** मोटर मार्ग का नव निर्माण **।**(**3.175**हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.330** हे0 नाप भूमि, अर्थात कुल **3.175** हे0 वन भूमि) का **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कण्डीसौड) की दिनांक 22.06.20 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ,उपजिलाधिकारी **टिहरी** –अध्यक्ष
2– श्री रमेश चन्द्र ... उप प्रभागीय वनाधिकारी **टिहरी** –सदस्य
3– श्री ... सहायक समाज कल्याण अधिकारी**थौलधार** –सदस्य/सचिव
4– श्री ... बी0डी0सी0 क्षेत्र **मंजखेत** –सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीचौरी उप वन प्रभाग
सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड थौलधार जिला टिहरी गढ़वाल
सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड–3 क्यारी थौलधार टि0ग0

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाण तक मोटर मार्ग वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **टिहरी** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **कण्डीसौड** परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत **लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाण तक** मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु **3.175** हे0 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग चम्बा**.(प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–टिहरी जनपद टिहरी गढ़वाल।

उप जिलाधिकारी टिहरी टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, **टिहरी गढ़वाल** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–टिहरी जनपद टिहरी गढ़वाल।

उप जिलाधिकारी टिहरी टिहरी गढ़वाल।

अनिवार्य सलंग्न 116 (76)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चम्बा/कण्डीसौड़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, चम्बा।

आज दिनांक 22.06.2020 को विकासखण्ड थौलधार के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मजखेत से मोरियाणा मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 3.175 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध मे वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी टिहरी की अध्यक्षता मे हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः–

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री फिचाराम चौहान	उप जिलाधिकारी, कण्डीसौड टिहरी	(हस्ताक्षर) उप जिलाधिकारी टिहरी टिहरी गढ़वाल।
2	श्री रमेश चन्द्र रवण्डूरी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी	(हस्ताक्षर) उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीचौरी उप वन प्रभाग
3	श्री भीमेश कुमार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, थौलधार।	(हस्ताक्षर) सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड थौलधार जिला—टिहरी गढ़वाल
4	श्री गोपाल चमोली	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत सदस्य	(हस्ताक्षर) सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड–3 क्यारी नगुण थौलधार टि0ग0
5	श्री ~~जयबीर रावत~~ जयबीर सिंह रावत	सदस्य जिला पचायत बन्स्यूल थौलधार टिहरी गढ़वाल.	(हस्ताक्षर) जयबीर सिंह रावत एडवोकेट सदस्य, जिला पंचायत बन्स्यूल थौलधार, (टिहरी गढ़वाल)

प्रारुप–30.3

अनिवार्य सम्भाग

74 77

रियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी हरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम **मंजखेत**

तहसील **कन्डीसौड**, जिला **टिहरी गढ़वाल**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत ालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक मोटर मार्ग का नव र्माण कार्य। परियोजना के निर्माण हेतु ....3.175.... आरक्षित वन भूमि एंव राजस्व भूमि ....शून्य.... अर्थात कुल ....3.175 है०.... वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग** संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन स्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **मंजखेत** द्वारा दिनांक....10.06.20.... को म्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में नापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का ब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त न भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा । इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत धिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया या कि ग्राम **ग्राम पंचायत मंजखेत** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत मंजखेत

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

सरपंच
वन पचायत मजखेत
वि०ख०–थौलधार (टि०ग०)

प्रारुप—30.4

परियोजना का नामः— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मेरियाणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक 10/06/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत मंजखेत

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विजय सिंह	विजयसिंह
2	फूल दास	फूलदास
3	चतर सिंह	चतरसिंह
4	चन्दन सिंह	चन्दनसिंह
5	उत्तम सिंह	उत्तम सिंह
6	महावीर सिंह	महवीर सिंह
7	अबल सिंह	अबल सिंह
8	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
9	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
10	कमल सिंह	कमलसिंह

(109)

कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढवाल में विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी महरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मौरियाणा तक नव निर्माण कार्य 4.650 कि0 मी0 तक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्वामित्व प्रमाण – पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण – पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद टिहरी गढवाल में विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी महरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मौरियाणा तक नव निर्माण कार्य 4.650 कि0 मी0 में आ रही नाप भूमि 400.00 मीटर भाग के अन्तर्गत जो भूमि मार्ग के समरेखण एवं डंपिंग जोन हेतु विभाग द्वारा प्रस्तावित की गयी है। उस प्रायोजन हेतु यदि मेरी भूमि विभागीय दरों पर अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मै विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने हेतु तैयार हूँ एवं खाता खतौनी की नकल संलग्न की जा रही है।

नाम :– गोपालसिंह पिता का नाम :– मंगसीरसिंह हस्ताक्षर गोपालसिंह

ग्राम मंजखेत, पटटी नगुण, तहसील कन्डीसौड, टि0 ग0

क्रास सेक्शन स0 2/20 से 2/21 पर प्रस्तावित मार्ग निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु उपरोक्त खातेदारों के अनुसार निवासी ग्राम मंजखेत, पटटी नगुण तहसील कन्डीसौड जिला टिहरी गढ़वाल के नाम भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	खाता संख्या	नाम भूमिधर	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	अर्जित क्षेत्रफल
1	07	गोपालसिंह पु0 मंगसीरसिंह	2326	0.055 हे0	0.015 हे0
			2328	0.055 हे0	0.025 "
			2329	0.008 हे0	0.008 "
			2330	0.014 हे0	0.014 "
		योग	4 No	0.132	0.062 हे0

तेजपाल चौहान(?)
अमीन
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
चम्बा

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
चम्बा, टि0 ग0

सहायक अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
चम्बा, टि0 ग0
(मुहर: सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा (टि0ग0))

अधिशासी अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
चम्बा, टि0 ग0
(मुहर: अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा, टि0ग0)

कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढवाल में विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी महरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मौरियाणा तक नव निर्माण कार्य 4.650 कि0 मी0 तक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्वामित्व प्रमाण – पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण – पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद टिहरी गढवाल में विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी महरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मौरियाणा तक नव निर्माण कार्य 4.650 कि0 मी0 में आ रही नाप भूमि 400.00 मीटर भाग के अन्तर्गत जो भूमि मार्ग के समरेखण एवं डंपिंग जोन हेतु विभाग द्वारा प्रस्तावित की गयी है। उस प्रायोजन हेतु यदि मेरी भूमि विभागीय दरों पर अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मै विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने हेतु तैयार हूँ एवं खाता खतौनी की नकल संलग्न की जा रही है।

नाम :– चन्दन सिंह पिता का नाम :– श्री मायाराम हस्ताक्षर चन्दन सिंह

ग्राम मंजखेत, पटटी नगुण, तहसील कन्डीसौड, टि0 ग0

क्रास सेक्शन स0 ......2/8...... से ......2/9......पर प्रस्तावित मार्ग निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु उपरोक्त खातेदारों के अनुसार निवासी ग्राम मंजखेत, पट्टी नगुण तहसील कन्डीसौड जिला टिहरी गढ़वाल के नाम भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सख्या	खाता सख्या	नाम भूमिधर	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	अर्जित क्षेत्रफल
1	09	चन्दन सिंह पुत्र मायाराम	2375	0.010	0.010
		योग	1 No	0.010	0.010

तैयारकर्ता अमीन नि0 नि0 लो0 नि0 वि0 चम्बा

कनिष्ठ अभियन्ता नि0 ख0 लो0 नि0 वि0 चम्बा, टि0 ग0

सहायक अभियन्ता नि0 ख0 लो0 नि0 वि0 चम्बा, टि0 ग0

अधिशासी अभियन्ता नि0 ख0 लो0 नि0 वि0 चम्बा, टि0 ग0

कार्य का नामः— जनपद टिहरी गढवाल में विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी महरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मौरियाणा तक नव निर्माण कार्य 4.650 कि0 मी0 तक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्वामित्व प्रमाण – पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण – पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद टिहरी गढवाल में विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी महरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मौरियाणा तक नव निर्माण कार्य 4.650 कि0 मी0 में आ रही नाप भूमि 400.00 मीटर भाग के अन्तर्गत जो भूमि मार्ग के समरेखण एवं डंपिंग जोन हेतु विभाग द्वारा प्रस्तावित की गयी है। उस प्रायोजन हेतु यदि मेरी भूमि विभागीय दरों पर अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मै विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने हेतु तैयार हूँ एवं खाता खतौनी की नकल संलग्न की जा रही है।

नाम :– पिता का नाम :– हस्ताक्षर

ग्राम मंजखेत, पटटी नगुण, तहसील कन्डीसौड, टि0 ग0

क्रास सेक्शन स0 ....2/8.... से ....2/9....पर प्रस्तावित मार्ग निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु उपरोक्त खातेदारों के अनुसार निवासी ग्राम मंजखेत, पट्टी नगुण तहसील कन्डीसौड जिला टिहरी गढ़वाल के नाम भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सख्या	खाता संख्या	नाम भूमिधर	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	अर्जित क्षेत्रफल
1	10	[illegible]	2374	0.035	0.035
		योग	1 No	0.035	0.035

लेखाकार
सुमीत
नि0ख0-लो0नि0वि0
चम्बा

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
चम्बा, टि0 ग0

सहायक अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
चम्बा, टि0 ग0

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
चम्बा टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
चम्बा, टि0 ग0

112

कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढवाल में विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी महरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मौरियाणा तक नव निर्माण कार्य 4.650 कि0 मी0 तक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्वामित्व प्रमाण – पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण – पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद टिहरी गढवाल में विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी महरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मौरियाणा तक नव निर्माण कार्य 4.650 कि0 मी0 में आ रही नाप भूमि 400.00 मीटर भाग के अन्तर्गत जो भूमि मार्ग के समरेखण एवं डंपिंग जोन हेतु विभाग द्वारा प्रस्तावित की गयी है। उस प्रायोजन हेतु यदि मेरी भूमि विभागीय दरों पर अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मै विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने हेतु तैयार हूँ एवं खाता खतौनी की नकल संलग्न की जा रही है।

नाम :– चन्दनसिंह पिता का नाम :– रामचन्द्र चन्दनसिंह
हस्ताक्षर

ग्राम मंजखेत, पटटी नगुण, तहसील कन्डीसौड, टि0 ग0

क्रास सेक्शन स0 ......218...... से ......219......पर प्रस्तावित मार्ग निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु उपरोक्त खातेदारों के अनुसार निवासी ग्राम मंजखेत, पट्टी नगुण तहसील कन्डीसौड जिला टिहरी गढ़वाल के नाम भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	खाता संख्या	नाम भूमिधर	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	अर्जित क्षेत्रफल
1	11	चन्दनसिंह पु0 रामचन्द्र	2373	0.059	0.059
			2376	0.018	0.010
		योग	2 (circled)	0.077	0.069

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
चम्बा, टि0 ग0

सहायक अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
चम्बा, टि0 ग0

अधिशासी अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
चम्बा, टि0 ग0

कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढवाल में विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी महरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मौरियाणा तक नव निर्माण कार्य 4.650 कि0 मी0 तक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्वामित्व प्रमाण – पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण – पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद टिहरी गढवाल में विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी महरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मौरियाणा तक नव निर्माण कार्य 4.650 कि0 मी0 में आ रही नाप भूमि 400.00 मीटर भाग के अन्तर्गत जो भूमि मार्ग के समरेखण एवं डंपिंग जोन हेतु विभाग द्वारा प्रस्तावित की गयी है। उस प्रायोजन हेतु यदि मेरी भूमि विभागीय दरों पर अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मै विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने हेतु तैयार हूँ एवं खाता खतौनी की नकल संलग्न की जा रही है।

नाम :– मोरासिंह पिता का नाम :– श्री बलदेव सिंह हस्ताक्षर

ग्राम मंजखेत, पटटी नगुण, तहसील कन्डीसौड, टि0 ग0

क्रास सेक्शन स0 2/22 से 2/23 पर प्रस्तावित मार्ग निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु उपरोक्त खातेदारों के अनुसार निवासी ग्राम मंजखेत, पट्टी नगुण तहसील कन्डीसौड जिला टिहरी गढ़वाल के नाम भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	खाता संख्या	नाम भूमिधर	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	अर्जित क्षेत्रफल
1	17	मोरासिंह पुत्र बलदेव सिंह	2333	0.026 है0	0.026
			2334	0.028 है0	0.010
			2348	0.046 है0	0.010
			2349	0.044 है0	0.036
		योग	4 कि0		0.082

तामिलकर्ता
अमीन
नि0 खं0 लो0 नि0 वि0
चम्बा

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
चम्बा, टि0 ग0

सहायक अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
चम्बा, टि0 ग0

अधिशासी अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
चम्बा, टि0 ग0

कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढवाल में विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी महरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मौरियाणा तक नव निर्माण कार्य 4.650 कि0 मी0 तक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्वामित्व प्रमाण – पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण – पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद टिहरी गढवाल में विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी महरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मौरियाणा तक नव निर्माण कार्य 4.650 कि0 मी0 में आ रही नाप भूमि 400.00 मीटर भाग के अन्तर्गत जो भूमि मार्ग के समरेखण एवं डंपिंग जोन हेतु विभाग द्वारा प्रस्तावित की गयी है। उस प्रायोजन हेतु यदि मेरी भूमि विभागीय दरों पर अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मै विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने हेतु तैयार हूँ एवं खाता खतौनी की नकल संलग्न की जा रही है।

नाम :– राजेन्द्र सिंह पिता का नाम :– सूरत सिंह हस्ताक्षर

ग्राम मंजखेत, पटटी नगुण, तहसील कन्डीसौड, टि0 ग0

क्रास सेक्शन स0 2/21 से 2/22 पर प्रस्तावित मार्ग निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु उपरोक्त खातेदारों के अनुसार निवासी ग्राम मंजखेत, पट्टी नगुण तहसील कन्डीसौड जिला टिहरी गढ़वाल के नाम भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सख्या	खाता सख्या	नाम भूमिधर	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	अर्जित क्षेत्रफल
1	19	राजेन्द्र सिंह S/o सूरत सिंह	2335	0.048	0.048 हे0
		योग	1 No.		0.048 हे0

तैयारकर्ता
अमीन
नि0ख0लो0नि0वि0
चम्बा

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
चम्बा, टि0 ग0

सहायक अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
चम्बा, टि0 ग0

अधिशासी अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
चम्बा, टि0 ग0